

कार्यालय, नगरीय निकाय निदेशालय
प्लाट नं०-१८, सेक्टर-७, गोमती नगर विस्तार योजना, लखनऊ
e-mail: diruplb@gmail.com, website: www.localbodies.co.in

पत्र संख्या— ५९३ /२/OM&M Cell /2022-23

दिनांक: २४ फरवरी, 2023

सेवा में,

- | | |
|---|---|
| १ प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय),
लखनऊ। | २. रादरस्य सचिव,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ। |
| ३ निदेशक,
नगरीय निकाय, निदेशालय,
लखनऊ। | ४. राहायक निदेशक, लेखा,
नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०,
लखनऊ। |

महोदय/महोदया,

नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या—शारानादेश रांख्या—५४८३/नौ—५—२०१७— ४४७सा/२०१७ दिनांक १२.०२.२०१८ द्वारा कुल ०४ जोन— लखनऊ, गोरखपुर (गोरखपुर, अयोध्या), आगरा एवं गाजियाबाद (गाजियाबाद, पिलखुआ, लोनी, अनूपशहर, बिजनौर, रामपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, राहानगुपर) हेतु वन रिटी—वन आपरेटर सिद्धान्त पर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस.टी.पी.) व इससे जुड़े इन्फ्रारस्ट्रक्चर तथा रीवरेज नेटवर्क के दीर्घकालिक (१० वर्ष) के संचालन, रख—रखाव एवं प्रबन्धन की व्यवस्था की गयी है।

२. उक्त कार्य के लिए आबद्ध फर्म को कार्य/सेवाओं के सापेक्ष प्रस्तुत Payment Certificate/Bill के भुगतान एवं सैटेलमेन्ट की संरक्षित हेतु शासनादेश संख्या—५०४/नौ—५—२०२०—३९४सा/२०१८ दिनांक ०३.०२.२०२० द्वारा निम्नानुसार समिति गठित की गयी है।

१	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन	अध्यक्ष
२	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ	सदस्य
३	निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
४	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण सेवा, उ०प्र०	सदस्य—सचिव
५	सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	सदस्य
६	उप/सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य

३. लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा एवं गोरखपुर जोन के लिए एजेण्डा के अनुसार फर्म द्वारा कराये गये कार्यों एवं प्रदान की गयी सेवाओं के सापेक्ष प्राप्त बिलों पर निर्णय लेने हेतु उपरोक्तानुसार गठित समिति की बैठक प्रमुख सचिव, नगर विकास, की अध्यक्षता में दिनांक २४.०८.२०२२ को अपरान्ह ०४:०० बजे स्थानीय निकाय निदेशालय के पंचम तल पर स्थित समागम में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त व एजेण्डा नोट तथा एजेण्डा सं० २ हेतु मेसर्स वी०१० टेक वाबाग लिं० एवं मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा० लिं० द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव

प्रतिलिपि—

- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन, को महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
 - विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग—९, उ०प्र० लखनऊ।
 - नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ/आगरा/अयोध्या/गोरखपुर/गाजियाबाद/मेरठ/सहारनपुर।
 - मुख्य अभियन्ता (नागर/विठ्ठली) प्रधान कार्यालय—उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
 - मुख्य अभियन्ता (लखनऊ/आगरा/गाजियाबाद/गोरखपुर), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ/आगरा एवं गाजियाबाद/गोरखपुर।
 - महाप्रबन्धक, गोमती/यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ/आगरा/गाजियाबाद।
 - अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, गोरखपुर एवं अयोध्या।
 - महाप्रबन्धक, जल कल विभाग (नगर निगम), लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, मेरठ एवं सहारनपुर।
 - अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी/बिजनौर/रामपुर/अनूपशहर/पिलखुआ व मुजफ्फरनगर।
 - सम्बन्धित फर्म।
- संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव

सदस्य सचिव/मुख्य अधिकारी, ओ०एम० एम० सेल की संकलित संस्थानी— उपरोक्तानुसार एजेंडा (iii से x) तक ओ०एम०ए०ए० एम० सेल द्वारा की गयी संस्थानी के अनुसार धनावंटन हेतु सकलित संशोधित तालिका निम्नवत् है जिसकी संरक्षित धनराशि आवंटित करने हेतु ओ०एम०ए०ए० एम० सेल द्वारा की जाती है।

तालिका-१

क्र. स.	प्रेमेन्ट स्टार्टिफिकेट / बिल का विवरण	गोरखपुर जोन	आगरा जोन (एजेंडा-१३)	आगरा जोन कुल	गाजियाबाद जोन	लखनऊ जोन	कुल
1	प्रेमेन्ट स्टार्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष	3	4	5	6 = (4+5)	7	8
1	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	3,14,06,430.01	9,86,62,765.90	3,58,000.00	9,90,20,765.90	21,83,10,263.71	18,89,35,358.71
2	जी०एस०टी० (12% & 18%)	56,05,907.17	1,77,59,297.86	42,960.00	1,78,02,257.86	3,92,95,848.37	3,40,08,364.57
3	फ्लूट चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	76,534.00	8,45,099.04	0.00	8,45,099.04	25,88,501.30	10,73,675.00
4	उ०प्र० जल निगम को देव सेटेज / सुपरवीजन चार्जेस (10%)	31,40,643.00	98,66,276.60	35,800.00	99,02,076.60	2,18,31,026.86	1,88,93,535.87
5	योग (1+2+3+4)	4,02,29,514.18	12,71,33,439.40	4,36,760.00	12,75,70,199.40	28,20,25,645.24	24,29,10,934.15
6	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्ट्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण	1,86,27,496.22	2,03,19,940.65	0.00	2,03,19,940.65	2,06,41,632.81	7,99,09,010.33
7	विद्युत बिल	98,10,555.51	1,89,99,560.49	0.00	1,89,99,560.49	5,21,59,588.49	16,79,39,775.00
8	उ०प्र० जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि (5+7)	5,00,40,069.69	14,61,32,999.89	4,36,760.00	14,65,69,759.89	33,41,85,233.73	41,08,50,709.15
							94,16,45,772.46


प्राप्तवार्ता
नियामी
कालांग०

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में एस०टी०पी० व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के १० वर्षीय दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone) की दिनांक 22.02.2023 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उत्तर प्रदेश में स्थापित एस०टी०पी० व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone) हेतु नगर विकास अनुभाग-५ के शासनादेश सं०-२३१९ / नौ-५-२०१९-३९४सा/२०१८ दिनांक 11.06.2019 द्वारा निविदा की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, तदनुसार सम्बन्धित फर्मों के साथ अनुबन्ध सम्पादित किया गया। शासनादेश संख्या-८४९/नौ-९-१९-८९ज/२००१ दिनांक 18 जुलाई, २०१९ द्वारा मूल बजट रु० २५०.०० करोड़ एवं शासनादेश संख्या-२७४८/नौ-९-२०-८९ज/२००१, दिनांक 30.12.2020 द्वारा पुनरीक्षित बजट रु० ३५०.०० करोड़ प्रतिवर्ष एस.टी.पी. के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबन्धन की व्यवस्था की गयी हैं। उ०प्र० जल निगम को उक्त कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने पर निर्णय लेने हेतु नगर विकास अनुभाग-५ के शासनादेश सं०-५०४/नौ-५-२०२०-३९४सा/२०१८ दिनांक 03.02.2020 द्वारा समिति गठित की हैं।

समिति की बैठक प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में **दिनांक 22.02.2023** को अपराह्न ०४:०० बजे सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जल कल विभाग, नगर निगम तथा उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।


सदस्य सचिव द्वारा समिति के समक्ष बैठक में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया एवम् एजेण्डा के अनुसार बिन्दुवार प्रस्तुतीकरण किया गया। एजेण्डा सं० २ हेतु मै० वी-ए टेक वाबाग एवं मै० सुएज इण्डिया प्रा० लि० द्वारा क्रमशः आगरा पैकेज एवं लखनऊ पैकेज हेतु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुतीकरण दिया गया तथा समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डावार संस्तुति व तत्क्रम में दिये गये निर्देश निम्नवत् हैं :-


एजेण्डा सं०	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश		
		क्र.सं	आगरा	लखनऊ
1	समिति की दिनांक 22 नवम्बर-2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।		
2a)	(i) Exposure visit (ii) Online Registration for Exposure visit (iii) National Level Conference (iv) Inhouse Training (v) Practical Abroad Training	(i)	फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक कुल 300 विद्यार्थियों की visit करायी जा चुकी है।	फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक कुल 287 विद्यार्थियों की visit करायी जा चुकी है।
		(ii)	फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि मार्च-2023 के प्रथम सप्ताह में Online Registration लागू कर दिया जायेगा।	फर्म द्वारा आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही Online Registration लागू कर दिया जायेगा।
		(iii)	फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि अप्रैल-2023 के तृतीय सप्ताह में National Level Conference कराये जाने का आश्वासन दिया गया।	फर्म द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

		क्र.सं	आगरा	लखनऊ	
		(iv)	फर्म द्वारा समय-समय पर कराया जाता है।	फर्म द्वारा समय-समय पर कराया जाता है। साथ अवगत कराया गया कि "मिलान फाउण्डेशन" के माध्यम से सी0एस0आर0 गतिविधि के अन्तर्गत In house ट्रेनिंग भी करायी जाती है। अधिशासी अभियन्ता, ओ0एम0एण्ड एम0 रोल द्वारा सुझाव दिया गया कि ट्रेनिंग हेतु उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) की HRD Cell से समन्वय उपरान्त ट्रेनिंग कराया जाना उचित होगा जिस पर समिति ने सहमति प्रदान करते हुये निर्देश दिये गये कि अधिकारियों/सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग हेतु HRD Cell से समन्वय उपरान्त ट्रेनिंग करायी जाये जिससे ट्रेनिंग और भी प्रभावी हो सके।	
		(v)	फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि Bahrain में माह अप्रैल/मई-2023 में कराया जाना प्रस्तावित है। फर्म ने अनुरोध किया कि Practical Abroad Training हेतु अधिकारियों को नामित करने की कृपा करें।	फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि Morocco में माह मार्च/अप्रैल-2023 में कराया जाना प्रस्तावित है। फर्म ने अनुरोध किया कि Practical Abroad Training हेतु अधिकारियों को नामित करने की कृपा करें।	
			समिति द्वारा निर्देश दिये गये Online Registration लागू करने के उपरान्त exposure visit हेतु न्यूनतम Fees की व्यवस्था लागू करें। अध्यक्ष महोदय द्वारा ट्रेनिंग हेतु भारत सरकार के MoHUA के TULIP Program से जोड़े जाने के निर्देश दिये गये। अध्यक्ष महोदय द्वारा National Level Conference को लखनऊ में आयोजित करने के निर्देश समस्त फर्मों को दिये गये।		
2b)	Revenue Generation New Initiative		<p>आगरा</p> <p>फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक कुल रु 1.80 लाख व रु 0.29 लाख अर्थात् कुल रु 2.09 लाख की आय क्रमशः स्लज के विक्रय एवं एस0टी0पी0 पर लगाये गये फूलों के विक्रय से अर्जित की जा चुकी है।</p> <p>अग्रेतर अवगत कराया गया कि Revenue Generation हेतु निम्न प्रस्ताव शीघ्र ही प्रस्तुत किये जायें:-</p> <p>1— मिथेन के उपयोग से सी0एन0जी0 तथा विद्युत उत्पादन के कार्य।</p> <p>फर्म द्वारा New Initiative में निम्न प्रस्तावित कार्यों के बारे में अवगत कराया:-</p>	<p>लखनऊ</p> <p>फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि भरवारा एस0टी0पी0 के ट्रीटेड स्लज में heavy metals पाये गये हैं एवम् स्लज का पुनः टेस्ट कराया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि को निर्देश दिये गये कि सीवेज में heavy metals के श्रोत की जानकारी एवं प्रदूषित करने वाली इकाई के विरुद्ध कृत कार्यवाही से समिति के समक्ष आगामी बैठक में प्रस्तुत करें साथ ही निर्देश दिये गये कि भरवारा एस0टी0पी0 के इनलेट व ट्रीटेड वेस्ट वाटर की heavy metals की जाँच रिपोर्ट भी आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।</p> <p>फर्म द्वारा New Initiative में निम्न प्रस्तावित कार्यों के बारे में अवगत कराया:-</p>	


		आगरा	लखनऊ
		<p>1— फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 78 एम०एल०डी० एस०टी०पी० धांधूपुरा के शोधित जल के रद्दवर्चर पर उपलब्ध हेड के माध्यम से hydroelectric विद्युत उत्पादन करने हेतु फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है।</p> <p>2— आई०आई०आई०, चेनाई के सहयोग से पतली गलियों के मैनहोल की सफाई हेतु मशीन के माध्यम से De-sludging की Piloting की जा रही है।</p>	<p>1— मैनपावर व टी०एण्ड पी० की मॉनिटरिंग हेतु ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गयी है।</p> <p>2— 7 नग मशीनों पर सी०सी०टी०वी० लगाये गये हैं जिससे कार्यस्थल पर कराये जा रहे कार्य का ऑनलाइन वीडियो देखा जा सकता है। अन्य समस्त मशीनों में शीघ्र ही सी०सी०टी०वी० अधिष्ठापित कर लिया जायेगा।</p> <p>3— भरवारा एस०टी०पी० पर उत्पन्न मिथेन गैस के Reuse को explore करने हेतु IOCL से कार्यवाही प्रगति पर है।</p>
		अध्यक्ष महोदय द्वारा Carbon Sequestration के माध्यम से Carbon credit से Revenue Generation के उद्देश्य से प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश समस्त फर्मों को दिये गये। प्रस्ताव में Potential, problems with solutions तथा इस माध्यम से Revenue Generation हेतु रोड मैप का स्पष्ट उल्लेख हो। अग्रेतर समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि Revenue sharing model पर अनुबंध के अनुसार सुरक्षित प्रस्ताव मुख्यालय उ०प्र० जल निगम (नगरीय) के माध्यम से समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।	
2c)	ऑनलाइन बिलिंग व मॉनीटरिंग की व्यवस्था	समयाभाव के कारण बिन्दु पर चर्चा नहीं हुयी।	
2d)	STPs के ट्रीटेड एफ्लूएन्ट के पैरामीटर्स का OCEMS से प्राप्त रीडिंग का मिलान	अधिशासी अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि OCEMS से प्राप्त रीडिंग का मिलान आगरा पैकेज-6 के माह जनवरी-2023 के बिल का किया गया है। अग्रेतर चर्चा समयाभाव के कारण नहीं की गयी।	
2 e)	एस०टी०पी० में उत्पन्न स्लज को उर्वरक के रूप में इस्तमोल करे scientific अध्ययन एवं उर्वरक क्षेत्र में कार्यरत सरकारी उद्यमों/ प्राइवेट कम्पनीयों से सम्पर्क कर cost recovery का मॉडल बनाने के सम्बन्ध में।	बिन्दु संख्या-2b के अनुसार।	
2 f)	अनूपशहर स्थित एस०टी०पी० पर विद्युत कनवेशन की कार्यवाही एवं समिति द्वारा फर्म को निर्देश दिये गये कि सोलर पैनल लगाने की कार्यवाही पर विचार करते हुये नियमानुसार कार्यवाही करें।	अधिशासी अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में भुगतान शासन स्तर से किया जाना है।	

2 g)	वन सिटी वन ऑपरेटर के कारण पूर्वत व्यवस्था के सापेक्ष impact के संबंध में जानकारी चाही गयी	समयाभाव के कारण बिन्दु पर चर्चा नहीं हुयी।		
2 h)	विभिन्न एस0टी0पी0 व एस0पी0एस0 पर शहरी क्षेत्रों में खाली पड़ी भूमि में पौधे लगाये जाने की कार्यवाही	मेसर्स वी0ए0टेक वाबाग, आगरा द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया तथा प्रस्ताव विरचन की कार्यवाही प्रगति पर है। मेसर्स सुएज इपिड्या प्रा0लि0 द्वारा अवगत कराया गया कि भरवारा एस0टी0पी0 हेतु प्रस्ताव मार्च–2023 के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।		
2 i)	पावर फैक्टर को Improve किये जाने के संबंध में।	दोनों फर्मों द्वारा अवगत कराया गया कि पावर फैक्टर को कम करने हेतु APFC Panel को लगाये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। मेसर्स वी0ए0टेक वाबाग, आगरा पैकेज द्वारा अवगत कराया गया कि माह मार्च–2023 से विद्युत बिलों में कमी प्रतिलक्षित होनी प्रारंभ हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि विद्युत बिल को कम करने हेतु रोड मैप प्रस्तुत किया जाये।		
2 j)	Solar Plants के निर्माण की अद्यतन स्थिति व नये प्रस्ताव के संबंध में।	मेसर्स वी0ए0टेक वाबाग, आगरा पैकेज द्वारा अवगत कराया गया कि स्वीकृत 78 एम0एल0डी0 धांधपुरा एस0टी0पी0 पर कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा तथा 12 व 40 एम0एल0डी0 पर प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा।		
एजेण्डा सं0	ओ0एम0एण्ड एम0 सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश		
3 / गाजिया बाद	ओ0एम0एण्ड एम0 सेल द्वारा की गयी मूल संस्तुति के क्रम में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि माह अक्टूबर–2022 (अवशेष), नवम्बर–2022 व दिसम्बर–2022 का बिल ओ0एम0एण्ड एम0 सेल को क्रमशः दिनांक 21.11.2022, 13.01.2023 व दिनांक 08.02.2022 को उपलब्ध कराया गया है। माह अक्टूबर–2022 व नवम्बर–2022 के बिल का परीक्षण तथा दिसम्बर–2022 के (75 प्रतिशत) धनावंटन की संस्तुति ओ0एम0एण्ड एम0 सेल द्वारा की गयी तथा फर्म द्वारा जनवरी–2023 के बिल का अनुबंध के सेक्षन–VI क्लॉज–6.6 के अनुसार 75 प्रतिशत धनावंटन करने का अनुरोध किया गया, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सहमति दी गयी।	समिति द्वारा धनावंटन की संस्तुति तथा मुख्य अभियन्ता (गा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) / संबंधित नगर आयुक्त / महाप्रबन्धक, जलकल / अधिशासी अधिकारी को अनुबंध के अनुरूप एवम् नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।		
	ओ0एम0एण्ड एम0 सेल की संशोधित संस्तुति निम्नवत् है:-			
	क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	35 th Payment Certificate /Bill- October, 2022 (Balance Payment)	36 th Payment Certificate /Bill November, 2022
1-	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवगुप्त की जाने वाली धनराशि	2,36,28,957.69	7,72,19,842.83	
2-	जी.एस.टी. (18%)	42,53,212.38	1,38,99,571.71	
3-	फ्यूल चार्जरा (As per actual Certified by UPJN)	0.00	7,28,926.00	
4-	उ0प्र0 जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जरा (10%)	23,62,895.76	77,21,984.28	
5-	योग (1+2+3+4)	3,02,45,065.83	9,95,70,324.82	






एजेण्डा सं.	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश	
क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल का विवरण	37 th Payment Certificate /Bill- December, 2022 (Adhoc Payment)	38 th Payment Certificate /Bill- January, 2022 (Adhoc Payment)
1-	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	6,09,56,649.03	5,65,04,819.16
2-	जी.एस.टी. (18%)	1,09,72,196.83	1,01,70,867.45
3-	पृयूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	10,21,830.30	8,37,745.00
4-	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज/सुपरवीजन चार्जेस (10%)	60,95,664.90	56,50,481.92
5-	योग (1+2+3+4)	7,90,46,341.06	7,31,63,913.52
6-	उ०प्र० जल निगम को आवटित की जाने वाली धनराशि	28,20,25,645.23	
7-	आवटित की जाने वाली धनराशि में से एक्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण	2,03,19,940.65	
4 / लखनऊ	ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी मूल संस्तुति के क्रम में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि माह अक्टूबर-2022 व नवम्बर-2022 का बिल ओ०एम०एण्ड एम० सेल को क्रमशः दिनांक 05.01.2023 व दिनांक 23.01.2023 को उपलब्ध कराया गया है। माह अक्टूबर-2022 व नवम्बर-2022 के धनावंटन की संस्तुति ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी तथा फर्म द्वारा दिसम्बर-2022 के बिल का अनुबंध के सेवकान-VI क्लॉज-6.6 के अनुसार 75 प्रतिशत धनावंटन करने का अनुरोध किया गया, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सहमति दी गयी। ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संशोधित संस्तुति निम्नवत् है:-	समिति द्वारा धनावंटन की संस्तुति तथा मुख्य अभियन्ता (ल०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (नगरीय)/नगर आयुक्त एवं महाप्रबन्धक, जलकल को अनुबंध के अनुरूप एवम् नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।	
क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल का विवरण	36 th Payment Certificate/ Bill- October- 2022	37 th Payment Certificate/ Bill-November- 2022
1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	6,86,40,162.32	7,33,72,180.83
2	जी.एस.टी. (18%)	1,23,55,229.22	1,32,06,992.55
3	पृयूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	6,54,337.00	1,05,693.00
4	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज/ सुपरवीजन चार्जेस (10%)	68,64,016.23	73,37,218.08
			46,92,301.56

एजेंडा सं०	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश																																								
	<table border="1"> <tr> <td>5</td><td>योग (1+2+3+4)</td><td>8,85,13,744.77</td><td>9,40,22,084.46</td><td>6,03,75,104.92</td></tr> <tr> <td>6</td><td>उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि</td><td></td><td></td><td>24,29,10,934.15</td></tr> <tr> <td>7</td><td>आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण</td><td></td><td></td><td>2,06,41,632.81</td></tr> </table>	5	योग (1+2+3+4)	8,85,13,744.77	9,40,22,084.46	6,03,75,104.92	6	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि			24,29,10,934.15	7	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण			2,06,41,632.81																										
5	योग (1+2+3+4)	8,85,13,744.77	9,40,22,084.46	6,03,75,104.92																																						
6	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि			24,29,10,934.15																																						
7	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण			2,06,41,632.81																																						
5/ आगरा	<p>ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी मूल संस्तुति के क्रम में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि माह नवम्बर-2022, दिसम्बर-2022 व जनवरी-2023 का बिल ओ०एम०एण्ड एम० सेल को क्रमशः दिनांक 10.01.2023, 23.01.2023 व दिनांक 13.02.2023 को उपलब्ध कराया गया है जिसके धनावंटन की संस्तुति ओ०एम०एण्डएम० सेल द्वारा की गयी।</p> <p>ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति निम्नवत् है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. स.</th><th>पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण</th><th>36th Payment Certificate/Bill - November, 2022</th><th>37th Payment Certificate/Bill - December, 2022</th><th>38th Payment Certificate/Bill - January, 2023</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-</td><td>पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि</td><td>3,16,49,708.36</td><td>3,24,64,176.99</td><td>3,45,48,880.55</td></tr> <tr> <td>2-</td><td>जी.एस.टी. (12% & 18%)</td><td>56,96,947.50</td><td>58,43,551.86</td><td>62,18,798.50</td></tr> <tr> <td>3-</td><td>पर्यूल चार्जर्स (As per actual Certified by UPJN)</td><td>0.00</td><td>8,45,099.04</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>4-</td><td>उ०प्र० जल निगम को देय सेन्ट्रेज / सुपरवीजन चार्जर्स (10%)</td><td>31,64,970.84</td><td>32,46,417.70</td><td>34,54,888.06</td></tr> <tr> <td>5-</td><td>योग (1+2+3+4)</td><td>4,05,11,626.70</td><td>4,23,99,245.59</td><td>4,42,22,567.11</td></tr> <tr> <td>6-</td><td>उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि</td><td></td><td></td><td>12,71,33,439.40</td></tr> <tr> <td>7-</td><td>आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण</td><td></td><td></td><td>2,03,19,940.65</td></tr> </tbody> </table>	क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	36 th Payment Certificate/Bill - November, 2022	37 th Payment Certificate/Bill - December, 2022	38 th Payment Certificate/Bill - January, 2023	1-	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	3,16,49,708.36	3,24,64,176.99	3,45,48,880.55	2-	जी.एस.टी. (12% & 18%)	56,96,947.50	58,43,551.86	62,18,798.50	3-	पर्यूल चार्जर्स (As per actual Certified by UPJN)	0.00	8,45,099.04	0.00	4-	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्ट्रेज / सुपरवीजन चार्जर्स (10%)	31,64,970.84	32,46,417.70	34,54,888.06	5-	योग (1+2+3+4)	4,05,11,626.70	4,23,99,245.59	4,42,22,567.11	6-	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि			12,71,33,439.40	7-	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण			2,03,19,940.65	<p>समिति द्वारा धनावंटन की संस्तुति तथा मुख्य अभियन्ता (आ०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (नगरीय) / नगर आयुक्त एवं महाप्रबन्धक, जलकल को अनुबंध के अनुरूप एवम् नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।</p>
क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	36 th Payment Certificate/Bill - November, 2022	37 th Payment Certificate/Bill - December, 2022	38 th Payment Certificate/Bill - January, 2023																																						
1-	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	3,16,49,708.36	3,24,64,176.99	3,45,48,880.55																																						
2-	जी.एस.टी. (12% & 18%)	56,96,947.50	58,43,551.86	62,18,798.50																																						
3-	पर्यूल चार्जर्स (As per actual Certified by UPJN)	0.00	8,45,099.04	0.00																																						
4-	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्ट्रेज / सुपरवीजन चार्जर्स (10%)	31,64,970.84	32,46,417.70	34,54,888.06																																						
5-	योग (1+2+3+4)	4,05,11,626.70	4,23,99,245.59	4,42,22,567.11																																						
6-	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि			12,71,33,439.40																																						
7-	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण			2,03,19,940.65																																						
6/ गोरखपुर	<p>ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी मूल संस्तुति के क्रम में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि माह मई-2022 (संशोधित), सितम्बर-2022 (अवशेष), अक्टूबर-2022 व नवम्बर-2022 का बिल ओ०एम०एण्ड एम० सेल को क्रमशः दिनांक 25.07.2020, 21.12.2022, 02.02.2023, 02.03.2023 व दिनांक 13.02.2023 को उपलब्ध कराया गया है। माह मई-2022 (संशोधित), उ०प्र० जल निगम</p>																																									

एजेण्डा सं०	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश																																
	<p>सितम्बर-2022 (अवशेष), अक्टूबर-2022, नवम्बर-2022 के बिल का परीक्षण तथा दिसम्बर-2022 के (75 प्रतिशत) धनावंटन की संस्तुति ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी।</p> <p>ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति निम्नवत् है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th><th>पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण</th><th>32th Payment Certificate / Bill- May, 2022 (Correction in Ayodhya Bills due to typing error)</th><th>36th Payment Certificate / Bill - September, 2022 (Balance Payment)</th><th>37th Payment Certificate / Bill - October, 2022</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि</td><td>7,87,503.92</td><td>12,75,630.13</td><td>1,07,57,470.15</td></tr> <tr> <td>2</td><td>जी०एस०टी० (12%&18%)</td><td>94,500.47</td><td>229613.42</td><td>19,36,344.63</td></tr> <tr> <td>3</td><td>प्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>4</td><td>उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जस (10%)</td><td>78,750.39</td><td>1,27,563.01</td><td>10,75,747.02</td></tr> <tr> <td>5</td><td>योग (1+2+3+4)</td><td>9,60,754.78</td><td>16,32,806.56</td><td>1,37,69,561.80</td></tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	32 th Payment Certificate / Bill- May, 2022 (Correction in Ayodhya Bills due to typing error)	36 th Payment Certificate / Bill - September, 2022 (Balance Payment)	37 th Payment Certificate / Bill - October, 2022	1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	7,87,503.92	12,75,630.13	1,07,57,470.15	2	जी०एस०टी० (12%&18%)	94,500.47	229613.42	19,36,344.63	3	प्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	0.00	0.00	0.00	4	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जस (10%)	78,750.39	1,27,563.01	10,75,747.02	5	योग (1+2+3+4)	9,60,754.78	16,32,806.56	1,37,69,561.80	(नगरीय)/नगर आयुक्त एवं महाप्रबन्धक, जलकल को अनुबंध के अनुरूप एवम् नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। अध्यक्ष महोदय द्वारा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रतिनिधि को निर्देश दिये गये कि स्वयं अयोध्या एस०टी०पी० के फिकल क्वालीफार्म की जाँच कर रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाए।		
क्र. सं.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	32 th Payment Certificate / Bill- May, 2022 (Correction in Ayodhya Bills due to typing error)	36 th Payment Certificate / Bill - September, 2022 (Balance Payment)	37 th Payment Certificate / Bill - October, 2022																														
1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	7,87,503.92	12,75,630.13	1,07,57,470.15																														
2	जी०एस०टी० (12%&18%)	94,500.47	229613.42	19,36,344.63																														
3	प्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	0.00	0.00	0.00																														
4	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जस (10%)	78,750.39	1,27,563.01	10,75,747.02																														
5	योग (1+2+3+4)	9,60,754.78	16,32,806.56	1,37,69,561.80																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th><th>पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण</th><th>38th Payment Certificate / Bill - November, 2022</th><th>39th Payment Certificate / Bill - December, 2022 (Adhoc Payment)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि</td><td>1,06,23,233.31</td><td>79,62,592.50</td></tr> <tr> <td>2</td><td>जी०एस०टी० (12%&18%)</td><td>19,12,182.00</td><td>14,33,266.65</td></tr> <tr> <td>3</td><td>प्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)</td><td>18008.00</td><td>58526.00</td></tr> <tr> <td>4</td><td>उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जस (10%)</td><td>10,62,323.33</td><td>7,96,259.25</td></tr> <tr> <td>5</td><td>योग (1+2+3+4)</td><td>1,36,15,746.64</td><td>1,02,50,644.40</td></tr> <tr> <td>6</td><td>उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि</td><td></td><td>4,02,29,514.18</td></tr> <tr> <td>7</td><td>मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह दिसम्बर-2022 तक लम्बित कुल धनराशि</td><td></td><td>1,86,27,496.22</td></tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	38 th Payment Certificate / Bill - November, 2022	39 th Payment Certificate / Bill - December, 2022 (Adhoc Payment)	1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	1,06,23,233.31	79,62,592.50	2	जी०एस०टी० (12%&18%)	19,12,182.00	14,33,266.65	3	प्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	18008.00	58526.00	4	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जस (10%)	10,62,323.33	7,96,259.25	5	योग (1+2+3+4)	1,36,15,746.64	1,02,50,644.40	6	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि		4,02,29,514.18	7	मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह दिसम्बर-2022 तक लम्बित कुल धनराशि		1,86,27,496.22	कार्यवाही:-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
क्र. सं.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	38 th Payment Certificate / Bill - November, 2022	39 th Payment Certificate / Bill - December, 2022 (Adhoc Payment)																															
1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	1,06,23,233.31	79,62,592.50																															
2	जी०एस०टी० (12%&18%)	19,12,182.00	14,33,266.65																															
3	प्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	18008.00	58526.00																															
4	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जस (10%)	10,62,323.33	7,96,259.25																															
5	योग (1+2+3+4)	1,36,15,746.64	1,02,50,644.40																															
6	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि		4,02,29,514.18																															
7	मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह दिसम्बर-2022 तक लम्बित कुल धनराशि		1,86,27,496.22																															
(vii), (viii), (ix) एवं (x)	ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी मूल संस्तुति के क्रम में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव द्वारा अनुरोध करते हुये अवगत कराया गया कि लखनऊ पैकेज का विघुत बिल ओ०एम०एण्ड एम० सेल को उपलब्ध कराया गया हैं जोकि As per actual हैं तथा उ०प्र० जल निगम के सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक द्वारा परीक्षणोपरान्त व संस्तुति के साथ प्रेषित हैं। सदस्य सचिव द्वारा विघुत बिल पर धनावटन हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा	समिति द्वारा धनावटन की संस्तुति तथा संबंधित मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (नगरीय)/नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक,																																

J

John

~~Guill~~

Dec

एजेण्डा सं०	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश										
		प्राप्त कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। कार्यवाही:-उ०प्र० जल निगम (नगरीय)।										
xiii	<p>SI No. 2b Refund of Penalty during COVID period (25th Mar 2020 to 31st May 2020) which was waived in committee meeting dt. 15th Oct 2020 and 27th Nov. 2020.</p> <table> <tr> <td>Agra Claim Amount</td> <td>Rs. 16.5 lacs</td> </tr> <tr> <td>Ghaziabad Claim Amount</td> <td>Rs. 130.48 lacs</td> </tr> <tr> <td>And</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SI No. 6 Additional Payment withheld in initial 6 months on fixed charges (Mar'20 & Apr'20)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agra Claim Amount</td> <td>Rs. 54.3 lacs</td> </tr> </table>	Agra Claim Amount	Rs. 16.5 lacs	Ghaziabad Claim Amount	Rs. 130.48 lacs	And		SI No. 6 Additional Payment withheld in initial 6 months on fixed charges (Mar'20 & Apr'20)		Agra Claim Amount	Rs. 54.3 lacs	समिति द्वारा आगरा नगर हेतु ₹० 3.58 लाख (जी०एस०टी० व सेंटेज अतिरिक्त) की पेनाल्टी को अवमुक्त करने की सहमति प्रदान की गयी तथा संबंधित मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) / नगर आयुक्त/ महाप्रबन्धक, जलकल को अनुबंध के अनुरूप एवम् नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्दश दिये गये।
Agra Claim Amount	Rs. 16.5 lacs											
Ghaziabad Claim Amount	Rs. 130.48 lacs											
And												
SI No. 6 Additional Payment withheld in initial 6 months on fixed charges (Mar'20 & Apr'20)												
Agra Claim Amount	Rs. 54.3 lacs											
xiv	गाजियाबाद जोन के समस्त 15 एस०टी०पी० के निरीक्षण करने एवम् इनके सुधार हेतु तकनीकी सुझाव सहित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु श्री डी०पी० सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम को किये जाने हेतु Professional fee ₹० 1.18 लाख (जी०एस०टी० सहित) के भुगतान हेतु समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	समिति द्वारा Professional fee ₹० 1.18 लाख (जी०एस०टी० सहित) भुगतान किये जाने की संस्तुति की गयी।										
xv	<p>मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अनुबंध के सेक्शन- ॥। क्लॉज-2.8 मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत कराये जाने कार्यों हेतु कुल 10 वर्षों हेतु Major Replacement Fund of the System के मद में ₹० 25,15,57,851 तथा Collection System Replacement Fund के मद में ₹० 62,88,94,627 के मद में अर्थात् कुल ₹० 88,04,52,477 प्राविधानित हैं। साथ ही अवगत कराया गया कि अनुबन्ध के सेक्शन-2 के क्लॉज 2.8 के अनुसार मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड में किसी वर्ष तक उपलब्ध धनराशि से अधिक व्यय होने की दशा में निम्न व्याख्या की गयी हैं:-</p> <p><i>"Any remaining balance will roll over to subsequent Billing Year."</i></p> <p>उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा Major Replacement Fund of the System के मद में गाजियाबाद पैकेज-8 के एस०टी०पी० पर मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष वर्तमान तक कराये जाने वाले रवीकृत कार्यों के लागत ₹० 422.20 लाख की</p>	समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।										

एजेंडा सं०	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
	सीमा तक कार्य कराये जाने की संस्तुति कार्यहित में इस शर्त के साथ की जाती है कि Major Replacement Fund of the System के मद में ₹ 0 25,15,57,851.00 तथा Collection System Replacement Fund के मद में ₹ 62,88,94,627.00 की प्राविधानित अधिकतम धनराशि की सीमा तक ही कराये जाये। समिति के समक्ष निणयार्थ प्रस्तुत है।	
xvi	अन्य बिन्दू अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 1— मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि० द्वारा जी०एस०टी० के 18 प्रतिशत लागू होने की तिथि को लेकर अवगत कराया गया कि भारत सरकार के Notification के माध्यम से जनवरी—2022 से लागू है परन्तु भुगतान 18 जुलाई—2022 के उपरान्त से 18 प्रतिशत की दर से किया जा रहा है। इस संबंध में अधि०अभि०, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि उ०प्र० जल निगम (नगरीय) से प्राप्त सत्यापित बिलों के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही की जाती है एवं उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा जुलाई—2022 के तृतीय सप्ताह से 18 प्रतिशत की जी०एस०टी० का भुगतान किया जा रहा है।	अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इसका परीक्षण लेखा अनुभाग द्वारा कर प्रकरण का निस्तारण अभिलम्ब किया जाए। कार्यवाही:- वित्त निर्देश, उ०प्र० जल (नगरीय)/सहायक निर्देशक (लेखा) ओ०एम०एण्ड एम० सेल।
	2— मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि० द्वारा अवगत कराया गया कि ट्रीटेड एफ्यूलएन्ट का थर्ड पार्टी जाँच उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवम् श्रीराम लैब, नई दिल्ली द्वारा कराया जा रहा है। प्रायः दोनों रिपोर्टों में विरोधाभाष होने की स्थिति में उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट को प्राथमिकता देते हुये अग्रेतर कार्यवाही की जाती है। फर्म द्वारा अनुरोध किया गया कि ट्रीटेड एफ्यूलएन्ट की जाँच हेतु नामित एजेन्सी की प्राथमिकता स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी। इस संबंध में अधि०अभि०, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि अनुबंध के अनुसार थर्ड पार्टी जाँच NABL Accredited Lab से Composite sampling के आधार पर होनी चाहिये जिस हेतु पूर्व में तीन लैब प्राथमिकता के अनुस्मर क्रमशः उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लैब, सी०एस०आई०आर० की आई०आई०टी०आर० लखनऊ लैब तथा श्रीराम लैब, नई दिल्ली नामित हैं। अग्रेतर उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लैब NABL Accredited है तथा अग्रेतर अनुरोध किया गया कि अन्य एजेन्सी तथा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सौम्पतिंग एक साथ करायी जाए।	अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि पूर्व निर्धारित लैबों की प्राथमिकता के अनुसार अन्य तथा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की Labs से Composite sampling एक साथ करायी जाए। कार्यवाही:- उ०प्र० जल (नगरीय)/संबंधित फर्म/उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
	3— अध्यक्ष महोदय द्वारा उ०प्र० राज्य में एस०टी०पी० हेतु एन०जी०टी० के अनिस्तारित प्रकरणों का संज्ञान लेते हुये निर्देश उ०प्र० जल निगम (नगरीय) को दिये गये कि आगामी एक माह के अन्दर राज्य में स्थित समर्त एस०टी०पी० के संचालन एवं रखरखाव का प्रस्ताव प्राप्त किया जाए, रखरखाव मद में संभावित व्यय के वित्तीय व्यवस्था कराये जाने तथा Assets को As is Where is वेसिस पर संबंधित विभाग से प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए। कार्यवाही:- नगर विकास अनुभाग—९/उ०प्र० जल (नगरीय)।	

एजेंडा सं०	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
	4— अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये समिति की विगत समरत बैठकों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन की स्थिति हेतु Score Card आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।	

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि समरत संबंधित शासनादेशों, अनुबंध की शर्तों का अनुपालन किया जाए तथा प्रभावी अनुश्रवण हेतु जलकल/उ०प्र० जल निगम द्वारा सीवर कार्यों का एवं एस०टी०पी०/पम्पिंग स्टेशन का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या प्रत्येक बिल के साथ प्रस्तुत किया जाए तथा शासनादेश संख्या-1958/नौ-9-22-89ज/2001 टी०सी०-1, नगर विकास अनुभाग-9 दिनांक 27.09.2022 के बिन्दु संख्या-5 का अनुपालन किया जाए।

Mr. सदस्य—सचिव
मुख्य अभियन्ता,
ओ०एम०एण्ड एम० सेल,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ

(अमित सिंह)

सदस्य

उप/सहायक निदेशक (लेखा),
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ

Mr. ~~Mr.~~ २५.०२.२३
सदस्य
सदस्य—सचिव
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ

Mr. ~~Mr.~~ २५.०२.२३
(नेहा शर्मा)
सदस्य
निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०,
लखनऊ

Mr. ~~Mr.~~ २५.०२.२३
सदस्य,
प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय),
लखनऊ

Mr. ~~Mr.~~
(अमृत अभिजात)
अध्यक्ष
प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ०प्र० शासन, लखनऊ